संख्या-382/2023/I/428455/2023/23-11099/3202/2020

प्रेषक,

राज कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 16/11/2023**

विषय:- राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत जनपद महराजगंज के 01 कार्य पर जी0एस0टी0 सहित अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-5194 बी0जी0/7बी0-जी0एस0टी0/2022-23, दिनांक 18-08-2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण योजनान्तर्गत जनपद महराजगंज में महराजगंज-चौक-निचलौल मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 14.00 कि0मी0) की शासनादेश संख्या-27/2019/305ई(1)/23-11-2019-1/2(190)/2018, दिनांक 18-02-2019 द्वारा लागत रू0 3096.27 लाख+जी0एस0टी0 नियमानुसार देय, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रश्नगत कार्य की लागत रू0 3096.27 लाख में नियमानुसार जी0एस0टी की धनराशि रू0 312.24 लाख को सम्मिलित करते हुए कार्य की कुल लागत रू0 3408.51 लाख के सापेक्ष जी0एस0टी0 सहित देय अवशेष धनराशि रू0 314.04 लाख (रूपये तीन करोड़ चौदह लाख चार हजार मात्र) को अधोलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त किए जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	जी0एस0टी0 की धनराशि	जी0एस0टी0 सहित कार्य की कुल लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि		
							अनु0-58	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्रा0ख0 महराजगंज	जनपद महराजगंज में महराजगंज-चौक-निचलौल मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 14.00 कि0मी0)।	3096.27 +जी0एस0टी0 नियमानुसार देय	312.24	3408.51	3094.47	247.43	66.61	314.04

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही जी0एस0टी0 की धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से कार्य पर जितनी जी0एस0टी0 देय होगी, उतनी ही भुगतान की जायेगी। अवशेष धनराशि राजकोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त कार्य पर अवमुक्त की जा रही जी0एस0टी0 की धनराशि के भुगतान के सम्परीक्षित लेखा प्राप्त कर अभिलेखों में संरक्षित किये जायेगें।

(3) किसी भी स्थिति में कार्य पर जी0एस0टी0 की धनराशि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाये, जी0एस0टी0 की धनराशि के वास्तविक होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सम्परीक्षित लेखा निर्धारित समय-सीमा अन्तर्गत कार्यालय महालेखाकार एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व उक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशो की शर्तो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के आन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/ बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0 एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी- 1-227/ दस- 2023- 231/2023, दिनांक 17-03-2023 एवं संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19-09-2023 में निहित निर्देशो का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रूपये 2,47,43,000(रूपये दो करोड़ सैतालिस लाख तैतालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371323 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रूपये 66,61,000(रूपये छाछठ लाख इकसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20223024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891300 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के कार्यो हेतु मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17-03-2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।